R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड VII ◆ अंक 8
फरवरी 2011

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

10 लाख रुपए तक के आवास ऋण - स्पष्टीकरण

भारत सरकार ने 10 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज में 1 प्रतिशत छूट की योजना पर कतिपय स्पष्टीकरण जारी किए हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के लिए दावे प्रस्तुत करते समय बैंकों को निम्नलिखित स्पष्टीकरण ध्यान में रखने चाहिए -

(क) अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ) को फार्महाऊस के निर्माण के लिए तथा बैंकों के स्टाफ सदस्यों को प्रदान किए जानेवाले आवास ऋण इस योजना के अंतर्गत छूट के लिए पात्र नहीं हैं।

(ख) ब्याज में छूट की गणना करते समय प्रत्येक संवितरण को अलग-अलग ऋण माना जाना चाहिए और प्रत्येक संवितरण के लिए छूट का दावा बारह किस्तों में किया जाना चाहिए। ऐसे ऋण जिनका एक बार में ही संपूर्ण संवितरण किया जाता है, संवितरित ऋण की संपूर्ण राशि पर पहले ही छूट उपलब्ध कराई जाएगी। परिगणित मासिक किस्त की घटी शेष पर ऋण की संवितरण की तारीख से 12 महीनों की अवधि के लिए छूट की गणना की जानी चाहिए।

(ग) 1 अक्तूबर 2009 से पूर्व स्वीकृत ऋण इस योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(घ) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारत सरकार से प्रतिपूर्ति प्राप्त होने तक छूट के अग्रिम ऋण के लिए स्वयं की निधि का प्रयोग करना होगा।

(ङ) बैंकों को सूचित किया गया हैं कि वे इस योजना के अंतर्गत छूट के लिए पात्र सभी आवास ऋणों के संबंध में मासिक आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित फार्मेट में अपने दावों को प्रस्तुत करें।

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि इस योजना को व्यापक रूप से लागू करें और सभी पात्र ग्राहकों/लाभार्थियों को इस योजना का लाभ तुरंत उपलब्ध कराएं।

शाखा प्राधिकरण नीति में छूट

घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को टीयर- 3 से टीयर - 6 केंद्रों (जनगणना 2001 के अनुसार 49,999 तक जनसंख्यावाले) तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों एवं सिक्किम के ग्रामीण, अर्द्ध-शहरी तथा शहरी केंद्रों में प्रशासनिक कार्यालय तथा केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी)/सेवा शाखाएं खोलने के लिए आम अनुमति प्रदान की गई है बशर्ते उनकी रिपोर्टिंग की जाती है। जबकि प्रशासनिक कार्यालय (नियंत्रक कार्यालय) प्रशासनिक कार्य करेंगे, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी)/ सेवा शाखाएं पूर्णतया बैंक ऑफिस का कामकाज देखेंगे। इन केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों (सीपीसी)/सेवा शाखाओं का ग्राहकों के साथ कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होना चाहिए।

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन केंद्रों पर आम अनुमति के अधीन शाखाएं खोली जाती हैं वे किसी बड़े केंद्र से संबद्ध विस्तारित क्षेत्र (बड़े केंद्र के आस-पास विकसित क्षेत्र) न हों । यह स्पष्ट किया गया है कि किसी बड़े केंद्र से संबद्ध विस्तारित क्षेत्र को भी जनसंख्या समूह के उसी वर्ग में माना जाएगा जिस वर्ग में उसका बड़ा केंद्र होगा ।

बैंकों द्वारा आम अनुमति के अंतर्गत खोले गए अपने प्रशासनिक कार्यालयों तथा केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों (सीपीसी)/ सेवा शाखाओं के ब्योरों की सूचना रिज़र्व बैंक को दी जानी चाहिए।

आधार दर

भारत सरकार, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर लक्ष्य के एक भाग के रूप में ऑफ-ग्रिड तथा विकेंद्रीकृत सौर (फोटोवोल्टेइक और थर्मल) अनुप्रयोगों की वित्तीय सहायता पर एक योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत बैंक उन उद्यमियों को उस ब्याज दर पर आर्थिक सहायता प्राप्त ऋण प्रदान कर सकते हैं जहाँ भारत सरकार से दो प्रतिशत की पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध है। इस संदर्भ में रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि भारत सरकार से जहाँ पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध है वहाँ

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
10 लाख रुपए तक के आवास ऋण - स्पष्टीकरण	1
शाखा प्राधिकरण नीति में छूट	1
आधार दर	1
रिपो/प्रत्यावर्तनीय रिपो दरें बढ़ाई गईं	2
बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं	2
चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता	2
नया पेंशन विकल्प/परिवर्द्धित उपदान-व्यवहार	2
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को प्रदान ऋण का गलत वर्गीकरण	2
स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋणों का वर्गीकरण	2
शाखा बैंकिंग	
अल्प खाता खोलना	2
शहरी सहकारी बैंक	
शून्य कूपन बाण्डों में निवेश	3
फेमा	
करेंसी फ्यूचर्स/करेंसी विकल्पों में सहभागिता	3
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	
जमाराशि स्वीकार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात बढ़ाया गया	3
विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाएं	3
सूचना	
भारत सरकार की स्वावलम्बन योजना	4
वर्ष 2010-11 के लिए मौद्रिक नीति की तीसरी तिमाही समीक्षा	4

पाँच प्रतिशत प्रति वर्ष तक की ब्याज दरों पर ऐसे ऋण को आधार दर पर इसके दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

रिपो / प्रत्यावर्तनीय रिपो दरें बढ़ाई गईं

चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो और प्रत्यावर्तनीय रिपो दरें 25 जनवरी 2011 से नीचे उल्लिखित प्रकार से बढ़ाई गईं हैं:

रिपो दर : 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी करते हुए उसे 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत किया गया है।

प्रत्यावर्तनीय रिपो दर : 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी करते हुए उसे 5.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत किया गया है।

बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं

रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) और प्राथमिक व्यापारियों (संपार्श्विक चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधाएं 25 जनवरी 2011 से संशोधित रिपो दर अर्थात् 6.50 प्रतिशत पर उपलब्ध होंगी।

चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता

चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं की एक प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त चलनिधि सहायता जो 28 जनवरी 2011 को समाप्त हो रही थी उसे अब 8 अप्रैल 2011 तक बढ़ा दिया गया है। इस सुविधा के उपभोग से सांविधिक चलनिधि अनुपात के रखरखाव में उत्पन्न किसी कमी के लिए अस्थायी उपाय के रूप में बैंक शुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर दण्डात्मक ब्याज हटाने की माँग कर सकते हैं। तथापि, इस सुविधा के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि सहायता की रिपोर्ट दैनिक आधार पर की जाए।

नया पेंशन विकल्प/परिवर्द्धित उपदान-व्यवहार

रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया है कि पहले जिन कार्यरत कर्मचारियों ने पेंशन विकल्प नहीं चुना था उनके लिए पेंशन विकल्प पुन: खोलने तथा साथ ही उपदान सीमाओं में वृद्धि के कारण अतिरिक्त देयता का पूरा निर्धारण किया जाना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए उसे लाभ और हानि खाते में दर्शाना चाहिए।

रिज़र्व बैंक ने यह सूचित किया है कि :

क) उपर्युक्त व्यय को वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान यदि लाभ और हानि खाता में पूर्णत: प्रभारित नहीं किया गया है तो 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होने वाली पाँच वर्ष की अवधि के दौरान उसका परिशोधन [नीचे दिये गये पैरा (ख) एवं (ग) के अधीन] किया जा सकता है बशर्ते प्रत्येक वर्ष कुल राशि का कम-से-कम 1/5 भाग परिशोधित किया जाए ।

ख) बैंकिंग उद्योग के लिए 01 अप्रैल 2013 से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक लागू करने के बाद आगे लाए गए अपरिशोधित व्यय को बैंकों की आरक्षित निधियों के प्रारंभिक शेष में से घटाया जाएगा।

ग) आगे लाए गए अपरिशोधित व्यय में पृथक्कृत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित कोई राशि शामिल नहीं होगी ।

इस संबंध में अपनायी गई लेखांकन नीति के संबंध में समुचित प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों की लेखा पर टिप्पणी के अंतर्गत किया जाना चाहिए।

इस मामले की अपवादात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नए पेंशन विकल्प तथा उपदान में वृद्धि से संबंधित अपरिशोधित व्यय को टीयर 1 पूंजी से नहीं घटाया जाएगा ।

बैंकों को अपनी पूंजी बढ़ाने की योजना बनाते समय उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखना चाहिए जिसमें बासेल III अपेक्षाओं को भी समुचित रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को प्रदान ऋण का गलत वर्गीकरण

रिज़र्व बैंक ने यह सूचित किया है कि अब निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत बैंकों द्वारा गलत रूप से वर्गीकृत और बैंकों के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के दौरान प्रधान निरीक्षण अधिकारी द्वारा सूचित ऐसे ऋणों की राशि की प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्यों के अंतर्गत कमी के रूप में गणना की जाएगी।

आरंभ में चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए ऐसे गलत वर्गीकरणों में विभिन्न निधियों के आबंटन हेतु बैंकों द्वारा अनुवर्ती वर्ष के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार को सूचित कमी में जोड़ दिया जाएगा।

यह भी सूचना मिली है कि विशेष रूप से जब बैंक, पात्र प्राथमिकता क्षेत्र के उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों को सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसी मध्यस्थ संस्थाओं से क्रय करते हैं तो वे उक्त ऋणों को अपनी उधार दरों पर डिस्काउंट करके, जो कि ऐसी मध्यस्थ संस्थाओं द्वारा ऋणों के अंतिम उपयोगकर्ता से वसूली जाने वाली दर से बहुत कम होती है, उक्त ऋणों का वर्तमान मूल्य निर्धारित करते हैं। इससे, बैंकों द्वारा ऐसी मध्यस्थ संस्थाओं को दिए गए प्रीमियम की राशि प्राथमिकता क्षेत्र को दी गई वास्तविक ऋण राशि में योगित होकर वास्तविक राशि से अधिक प्रकट होती है। अत: बैंकों को उस सांकेतिक राशि की सूचना देनी चाहिए, जो वास्तव में प्राथमिकता क्षेत्र के अंत उपयोगकर्ता को वितरित की गई है, उक्त मध्यस्थ संस्थाओं को प्रदत्त प्रीमियम की राशि युक्त राशि की नहीं।

स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋणों का वर्गीकरण

रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर व्यक्तियों को या अन्य संस्थाओं को ऋण देने के प्रयोजन हेतु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण कृषि क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र नहीं है।

उसी प्रकार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आरंभ की गई जमानती आस्तियों में बैंकों द्वारा किए गए निवेश जहाँ अंतर्निहित आस्तियाँ स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋण और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से क्रय किए गए स्वर्ण ऋण संविभाग/ समनुदेशन हों, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के पात्र नहीं हैं।

शाखा बैंकिंग

अल्प खाता खोलना

भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2010 को धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियमावली, 2005 को संशोधित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। इस संशोधन में कतिपय शर्तों की परिभाषा को पारिभाषित/विस्तारित किया गया है।

अल्प खाते

किसी 'अल्प खाते' का तात्पर्य किसी बैंकिंग कंपनी में कोई बचत खाता है जिसमें -

(i) एक वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र जमा राशि एक लाख रुपये से अधिक नहीं होती है;

(ii) किसी एक महीने में सभी आहरणों और अंतरणों की राशि मिलाकर दस हजार रुपये से अधिक नहीं होती है; तथा

(iii) किसी भी समय खाते की शेष राशि पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होती है।

आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज

सरकारी अधिसूचना में 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया गया है ताकि नरेगा (एनआरईजीए) द्वारा जारी जॉब कार्ड जो राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो अथवा भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण (यूआइएआइ) द्वारा जारी पत्रों को शामिल किया जा सके जिनमें नाम, पता तथा 'आधार' संख्या दी गई हो।

जहाँ कोई बैंक केवल इन्हीं दो में से किसी एक दस्तावेज़ अर्थात् नरेगा जॉब कार्ड अथवा आधार पत्र को ही कोई खाता खोलने के लिए अपेक्षित 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाइसी) का पूरा दस्तावेज मानता हो तो इस प्रकार खोले गए बैंक खाते पर भी अधिसूचना के अंतर्गत अल्प खाते के लिए निर्धारित शर्तें और सीमाएं लागू होंगी ।

अल्प खाते खोलना

यह अधिसूचना *अल्प खाते* खोलने के लिए विस्तृत प्रक्रिया भी निर्धारित करती है -

कोई व्यक्ति जो किसी बैंकिंग कंपनी में कोई अल्प खाता खोलना चाहता है उसे खाता खोलने के लिए फार्म पर एक स्व-प्रमाणित फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान जो भी स्थिति हो, प्रस्तुत करने पर ऐसा खाता खोलने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते -

(i) बैंकिंग कंपनी के पदनामित अधिकारी अल्प खाता खोलते समय अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाणित करें कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने उनकी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं अथवा अंगूठे का निशान, जो भी स्थिति हो लगा दिया है;

(ii) कोई अल्प खाता मुख्य बैंकिंग समाधान सहबद्ध बैंकिंग कंपनी शाखा अथवा किसी ऐसी शाखा में ही खोला जाएगा जहाँ व्यक्तिगत रूप से नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना संभव होगा कि विदेशी विप्रेषण किसी अल्प खाते में जमा नहीं किए जाते हैं और यह कि ऐसे खातों में लेनदेन और शेष की मासिक और वार्षिक सकल राशि पर निर्धारित सीमाओं का कोई लेनदेन किए जाने की अनुमति देने के पहले उल्लंघन नहीं किया गया हो;

(iii) कोई अल्प खाता प्रारंभ में बारह महीनों की अवधि के लिए तथा उसके बाद और बारह महीनों की अवधि के लिए परिचालन में रहेगा यदि ऐसे किसी खाते का धारक बैंकिंग कंपनी के समक्ष उक्त खाता खोले जाने के बारह महीनों के भीतर आधिकारिक रूप से किन्ही वैध दस्तावेज़ों के लिए आवेदन किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। उक्त खाते के संबंध में रियायत के समस्त प्रावधानों की चौबीस महीनों के बाद समीक्षा की जानी चाहिए;

(iv) अल्प खाते की निगरानी की जाए और जब कभी धन आशोधन अथवा आतंकवाद को वित्तीय सहायता अथवा अन्य उच्चतर जोखिम परिदृश्यों का संदेह होगा तो ग्राहक की पहचान आधिकारिक वैध दस्तावेज़ों के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से स्थापित की जाए; और

(v) किसी अल्प खाते में विदेशी विप्रेषण जमा करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाए जब तक आधिकारिक वैध दस्तावेज़ों के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ग्राहक की पहचान पूर्णत: स्थापित नहीं हो जाती है।

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अल्प खाते खालने के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करें।

शहरी सहकारी बैंक

शून्य कूपन बाण्डों में निवेश

रिज़र्व बैंक ने सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को सूचित किया कि वे शून्य कूपन बाण्डों में तभी निवेश करें जब निर्गमकर्ता सभी उपचित ब्याजों के लिए एक निक्षेप निधि निर्मित करे तथा उस निधि को तरल निवेश/प्रतिभूतियों (सरकारी बाण्डों) में निविष्ट रखे।

यह पाया गया है कि शहरी सहकारी बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित कॉर्पोरेट द्वारा जारी दीर्घावधि शून्य कूपन बाण्डों में निवेश कर रहे हैं। शून्य कूपन बाण्डों में निर्गमकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे बाण्डों की परिपक्वता तक कोई ब्याज या किस्त की अदायगी करें, इसके लिए बाण्डों की परिपक्वता तक ऐसे निवेशों में ऋण जोखिम का पता नहीं चलता और यह जोखिम दीर्घावधि शून्य कूपन बाण्डों के मामले में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

फेमा

करेंसी फ्यूचर्स/करेंसी विकल्प में सहभागिता

संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II (जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), स्थानीय क्षेत्रीय बैंक (एलएबी), शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) नहीं हैं) और जिनकी न्यूनतम निवल मालियत 5 करोड़ रुपये हैं, उनको अपनी विदेशी मुद्रा निवेशों की सुरक्षा के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ार में पदनामित करेंसी फ्यूचर्स और करेंसी विकल्पों में केवल ग्राहक के रूप में भाग लेने के लिए अनुमति दी गई हैं।

संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक, शहरी सहकारी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभागों द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों से मार्गदर्शन लें।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

जमाराशि स्वीकार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात बढ़ाया गया

जमाराशि स्वीकार करनेवाली तथा जमाराशि स्वीकार नहीं करनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का न्यूनतम पूँजी अनुपात समान रूप से 15 प्रतिशत किया गया है। तदनुसार, जमाराशि स्वीकार करनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे टीयर I और टीयर II पूँजी रखनेवाला एक न्यूनतम पूँजी अनुपात बनाए रखें जो 31 मार्च 2012 से उनके तुलनपत्र पर सकल जोखिम भारित आस्तियों तथा तुलनपत्रेतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के 15 प्रतिशत से कम न हो।

विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाएं

रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया है कि वे सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों के लिए आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विधि और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं द्वारा उन्हें गारंटीकृत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों वाला एक उपयुक्त मॉड्यूल शामिल करें। तथापि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपने द्वारा पहले से निर्धारित शिकायत निवारण के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **MR/Tech/WPP-208/South/09-11** **Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

यह स्मरण होगा जुलाई 2010 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि विकलांगता के आधार पर शारीरिक विकलांग/दृष्टिहीन व्यक्तियों को ऋण सुविधाओं सहित उत्पादों और सुविधाएं प्रदान करने में कोई भेदभाव न किया जाए तथा वे अपनी शाखाओं को यह भी सूचित करें कि वे विभिन्न कारोबारी सुविधाओं के उपभोग के लिए ऐसे व्यक्तियों को सभी संभावित सहायता प्रदान करें।

सूचना

भारत सरकार की स्वावलम्बन योजना

निर्धन वर्गों के दीर्घ-आयु जोखिम का निवारण करने के लिए, सरकार ने केंद्रीय बजट 2010-11 में स्वावलम्बन योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार चालू वर्ष और अगले तीन वर्षों के दौरान नई पेंशन प्रणाली में ऐसे अभिदाताओं के प्रत्येक खाते में ₹ 1,000 की धनराशि का अंशदान करेंगी जो ₹ 1,000 और ₹ 12,000 प्रति वर्ष के बीच की कोई धनराशि का योगदान करेंगे बशर्ते कि वे किसी सांविधिक पेंशन योजना या नियोक्ता समर्थित सेवानिवृत्ति हितलाभ योजना का हिस्सा नहीं हों। सरकार ने चार वर्षों, जिसकी शुरुआत 2010-11 से होगी, में से प्रत्येक वर्ष में दस लाख अभिदाताओं को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस तरह, मार्च, 2014 तक अभिदाताओं की कुल संख्या 40 लाख हो जाएगी। स्वावलम्बन योजना संबंधी परिचालन दिशानिर्देश, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ योजना की अनुप्रयोज्यता, हितलाभों और व्यापकता, योजना के पात्रता मानदण्ड, निधियन आदि के विवरण दिए गए हैं, अनुमोदित कर दिए हैं और अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने इन दिशानिर्देशों को अपनी वेबसाइट http://www.pfrda.org.in पर रखकर पब्लिक डोमेन में ला दिया है। स्वावलम्बन योजना के लिए पीएफआरडीए क्रियान्वयन एजेंसी होगी। पीएफआरडीए ने स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत अभिदाताओं के पंजीकरण और अंशदान संग्रहण के लिए 'एग्रीगेटर्स' नामक एजेंसियों को नियुक्त किया है। योजना के अंतर्गत पंजीकरणों के उच्चतर स्तर से ऐसे अभिदाताओं के लिए वृद्धावस्था में आमदनी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सभी राज्य सरकारों से भी अपील की थी कि वे इस योजना में समान योगदान करें और समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में भाग लें। उसके प्रत्युत्तर में दो राज्यों, हरियाणा और कर्नाटक ने भी स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रों में कामगारों के विनिर्दिष्ट पेशागत समूहों के लिए अभिदाताओं के अंशदान और केन्द्रीय सरकार के अंशदान के अतिरिक्त 1200 रु. प्रतिवर्ष का योगदान करने की सह-अंशदायी योजनाओं की घोषणा की है।

स्रोत : संसद प्रश्न

वर्ष 2010-11 के लिए मौद्रिक नीति की तीसरी तिमाही समीक्षा

डॉ. डी.सुब्बाराव, गवर्नर ने प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ एक बैठक में 25 जनवरी 2011 को वर्ष 2010-11 के लिए मौद्रिक नीति की तीसरी तिमाही समीक्षा प्रस्तुत की। मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

अनुमान

- वर्ष 2010-11 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि एक अनुमानित बढ़ोतरी के साथ 8.5 प्रतिशत पर बनी रही।
- मार्च 2011 के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) मुद्रास्फीति का आधारगत अनुमान 5.5 प्रतिशत से 7.0 प्रतिशत बढ़ाया गया।
- वर्ष 2010-11 के लिए मुद्रा आपूर्ति (एम3) वृद्धि 17 प्रतिशत पर बनी रही।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के गैर-खाद्य बैंक ऋण में वृद्धि 20 प्रतिशत पर बनी रही।

रुझान

मौद्रिक नीति के वर्तमान रुझान का उद्देश्य है:

- मुद्रास्फीतिकारी दबावों में और अधिक वृद्धि का सामना करने के लिए तैयार होते हुए उच्च खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को अन्य वास्तुओं तक बढ़ने से रोकना और मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षाओं पर अंकुश रखना।
- मूल्य, उत्पादन और वित्तीय स्थिरता के अनुरूप ब्याज दर प्रणाली बनाए रखना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए चलनिधि का सक्रियता से प्रबंध करना ताकि न तो मौद्रिक अंतरण से अधिशेष में कमी आये अथवा न तो निधि प्रवाह रूके और व्यापक रूप से संतुलन बना रहे।

मौद्रिक उपाय

- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो दर में 25 आधार बिन्दुओं की बढ़ोतरी करते हुए इसे 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत किया गया।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर में 25 आधार बिन्दुओं की बढ़ोतरी करते हुए इसे 5.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत किया गया।
- नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) को बैंकों की निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 6 प्रतिशत पर बना रहा।

अपेक्षित परिणाम

मौद्रिक नीति कार्रवाईयों से अपेक्षा है कि:

- खाद्य और ईंधन मूल्यों में बढ़ोतरी को अन्य वस्तुओं में बढ़ोतरी होने से रोका जाए।
- बढ़ती मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षाओं को रोका जाए जो खाद्य मूल्य वृद्धियों के संरचनात्मक और बढ़ते स्वरूप से और बढ़ सकती हैं।
- इतना नियंत्रित रहा जाए कि वृद्धि में बाधा न आए।
- बैंकों को अपने चलनिधि प्रबंधन परिचालनों में सहायता उपलब्ध कराना जारी रखा जाए।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।